मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट (1)

क्रमांक एफ– / पंचा– /2013/   भोपाल, दिनांक 6 /07/2013

प्रति,
कलेक्टर
जिला –समस्त, मध्यप्रदेश।

विषयः– ग्राम रोजगार सहायकों को ग्राम पंचायत का सहायक सचिव घोषित किए जाने विषयक तथा ग्राम पंचायत सचिव की अनुपस्थिति/आकस्मिक रिक्ति की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था।

संदर्भः– विभाग का पत्र क्र./ पी.सी./पंचायत/239/22/07 दिनांक 29.10.2007

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के दैनिक काम–काज में हुई बढ़ोतरी के कारण धारा 69(1) में संशोधन किया गया है, जो मध्यप्रदेश (असाधारण) राजपत्र क्रमांक 250 दिनांक 23 मई 2012 में प्रकाशित हुआ। इस संशोधन के फलस्वरूप प्रत्येक ग्राम पंचायत में "सहायक सचिव" नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अर्थात ग्राम पंचायत सचिव के दैनिक काम–काज में सहयोग करने तथा सचिव की आकस्मिक अनुपस्थिति अथवा रिक्ति की दशा में सहायक सचिव को संबंधित ग्राम पंचायत का दैनिक काम काज निष्पादन की दृष्टि से तात्कालिक व्यवस्था स्वरूप ग्राम पंचायत सचिव का प्रभार सौंपा जा सकेगा।

राज्य शासन के परिपत्र क्र. 14115 दिनांक 10.11.2009 तथा समसंख्यक पत्र दिनांक 02.06.2012 द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा की गई है। उक्त अधिनियम की धारा 69(1) में अपेक्षित अनुसार ग्राम रोजगार सहायक को ग्राम पंचायत के सहायक सचिव के पद पर रखने का शासन ने प्रशासनिक निर्णय लिया है।

2– मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69 में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक सचिव तथा सहायक सचिव की नियुक्ति का प्रावधान है। अर्थात *"राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी किसी ग्राम पंचायत के लिए एक सचिव तथा एक या अधिक सहायक सचिवों की नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसे कि राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी द्वारा उन्हें समनुदेशित किए जाए।*

परन्तु यह और भी कि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के सचिव/सहायक सचिव का कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा यदि ऐसा व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत के किसी पदाधिकारी का नातेदार है।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "नातेदार" का अर्थ है माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, ससुर, सास, साला, बहनोई देवर, साली, भाभी, ननद, जी, जेठानी, दामाद या पुत्रवधु "

ग्राम पंचायत सचिव की छुट्टी, सेवानिवृत्ति या मृत्यु या त्यागपत्र के कारण या अन्यथा स्थिति के फलस्वरूप उद्भूत आकस्मिक रिक्ति की दशा में अधिनियम की धारा 69 की धारा (4) में ग्राम पंचायत के कार्य चलाने के लिए अस्थाई सचिव की व्यवस्था का प्रावधान उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने अधिसूचना क्र. 309–126–बाईस–पं.–2–94 भोपाल दि. 05 मार्च 1994 द्वारा संबंधित जिला के कलेक्टर को विहित प्राधिकारी घोषित किया है।

ग्राम पंचायत सचिव के पद में आकस्मिक रिक्ति की दशा में "ग्राम रोजगार सहायक" सचिव का कार्य लिया जा सकेगा।

अतः समस्त कलेक्टर अर्थात विहित प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उनके में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायक को धारा 69(1) के तहत संबंधित ग्राम पंचायत का सहायक सचिव अधिसूचित किया जाए। अधिसूचित करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया कि ग्राम रोजगार सहायक संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच का नातेदार तो नहीं है। यदि नातेदार है तब ग्राम रोजगार सहायक का कार्य करता रहेगा किन्तु उसे संबंधित ग्राम पंचायत में सहायक सचिव नही बनाया जायेगा।

यह और भी कि संदर्भित समसंख्यक पत्र दिनांक 29.07.2007 द्वारा ग्राम पंचायत सचिव के पद में उदभूत आकस्मिक रिक्ति की वैकल्पिक एवं तात्कालिक व्यवस्था ग्राम पंचायत नियुक्त "मेट" को अस्थाई तौर पर ग्राम पंचायत सचिव का प्रभार सौंपने संबंधी जारी निर्देश एतद द्वारा निरस्त किए जाते है।

सहायक सचिव अपने मूलपद अर्थात ग्राम रोजगार सहायक के निर्दिष्ट कार्यों के साथ निम्नलिखित कृत्य और दायित्वों का निर्वहन करेंगे :-

(क)— महात्मा गॉधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा मनरेगा के साथ कनवर्जेन्स के कार्यों का पर्यवेक्षण।

(ख)— पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और सामाजिक न्याय विभाग का एम.आई.एस. का कार्य।

(ग)— कंडिका (क) एवं (ख) के अतिरिक्त ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की कार्यवाही भी की जाएगी।

(घ)— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत द्वारा समय–समय पर निर्देशित कार्य।

(ङ)— ग्राम पंचायत में सचिव के पद में उदभूत आकस्मिक रिक्ति की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था के स्वरुप पूर्ण कालिक सचिव के कृत्यों एवं दायित्वों का निर्वहन सहायक सचिव द्वारा किया जाएगा।

धारा 69(1) के अधीन नियुक्त सहायक सचिव द्वारा यदि कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही की जाती है तब विहित प्राधिकारी द्वारा उसे निलंबित किया जा सकेगा।

इसी प्रकार आयुक्त म0प्र0 रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा "ग्राम रोजगार सहायक" की नियुक्ति संबंधी जारी दिशा-निर्देश क्र./5335/NREGS/म.प्र./स्था./एन.आर-2/12 दिनांक .2012 के बिन्दु 1.(12) में प्रावधान अनुसार कलेक्टर को पर्याप्त कारणों के आधार पर किसी भी समय "ग्राम रोजगार सहायक" की सेवा समाप्ति के अधिकार होगें।

ग्राम रोजगार सहायक संबंधित ग्राम पंचायत के नियंत्रणाधीन कार्य करेगें एवं इनका ना संवर्ग नहीं होगा।

ग्राम रोजगार सहायक को संबंधित ग्राम पंचायत का सहायक सचिव घोषित करने की व्यवस्था अस्थाई होगी और यह तब तक प्रभावशील रहेगी जब तक कि ग्राम पंचायत के सहायक सचिव हेतु कोई स्थाई व्यवस्था नहीं हो जाती है।

सहायक सचिव (ग्राम रोजगार सहायक) के बैठने की व्यवस्था ग्राम पंचायत कार्यालय में होगी।

अतः उक्त निर्देशों अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(अरुणा राजौरा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 06/07/2013

पृ0क्रमांक एफ-/ 933/ /2013/ 13/
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म0प्र0।
2. निज सहायक, माननीय राज्यमंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म0प्र0।
3. समस्त, अध्यक्ष, जिला एवं जनपद पंचायत म0प्र0।

---

1. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म0प्र0।
2. आयुक्त, महात्मा गांधी राज्य रोजगार गारंटी परिषद, म0प्र0, भोपाल।
3. संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग म0प्र0।
4. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग म0प्र0।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत समस्त म0प्र0।

उक्त समस्त की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

सचिव 6/7
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश।